भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1816

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 13 फरवरी, 2023

24 माघ, 1944 (शक)

यूनेस्को दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

1816. श्री रवि किशन:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त संरक्षण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विरासत संरक्षण और वित्तपोषण के लिए किन्हीं स्थलों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय विरासत स्थल को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यूनेस्को के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश, 2021 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार विश्व विरासत सूची के लिए संपतियों को मनोनीत करता है। विश्व विरासत सूची में शामिल प्रत्येक संपति उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व को दर्शाती है। फिलहाल विश्व धरोहर सूची में भारत की 40 संपतियां शामिल हैं जिनमें 24 सांस्कृतिक धरोहर हैं। अतिरिक्त ब्यौरा **अनुबंध-क** में संलग्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए स्वीकृत निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

(ग) और (घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारकों का संरक्षण कार्य आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार करता है।

(ड.): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए देश के स्मारकों सहित विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और पर्यटन स्थलों के संवर्धन के लिए भारत को एक समग्र गंतव्य स्थल के रूप में प्रचारित करता है। उपर्युक्त उद्देश्य एकीकृत मार्किटिंग और संवर्धन रणनीति और पर्यटन व्यापार, राज्य सरकार और विदेश में भारतीय मिशन के सहयोग से मिले-जुले अभियान के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने ''अतुल्य भारत ! वर्ष 2023 में भारत भ्रमण करें'' की घोषणा की

है।

अनुबंध –क

लोक सभा में दिनांक 13.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1816 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

यूनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए योजना

उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व (ओयूवी)

समिति संपत्ति को उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के रूप में मानती है यदि संपत्ति दस मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा करती है । सांस्कृतिक संपत्ति के लिए (□) से (□□) मानदंड और प्राकृतिक संपत्ति के लिए (□□□) से (□) मानदंड हैं।

सत्यता

विरासत से जुड़ा महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इस महत्व के बारे में सूचना स्रोतों को किस हद तक विश्वसनीय या सत्य समझा जा सकता है। सांस्कृतिक विरासत के प्रकार, और इसके सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर, संपतियों को प्रामाणिकता की शर्तों को पूरा करने के लिए समझा जा सकता है यदि उनके सांस्कृतिक महत्वै (प्रस्तावित नामांकन मानदंड में मान्यता प्राप्त) सत्यता और विश्वसनीय रूप से विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं जिनमें शामिल हैं: • प्रपत्र और डिजाइन; • सामग्री और पदार्थ; • उपयोग और कार्य; • परंपराएं, तकनीकें और प्रबंधन प्रणालियां; • स्थान और सेटिंग; • भाषा, और अमूर्त विरासत के अन्य रूप; • भावना और संवेदना; और • अन्य आंतरिक और बाहरी कारक।

अखंडता

अखंडता प्राकृतिक और/या सांस्कृतिक विरासत और इसकी विशेषताओं की पूर्णता और अक्षुण्णता का एक उपाय है।

(क) इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व को व्यक्त करने के लिए आवश्यक सभी तत्व शामिल हैं;

(ख) संपत्ति के महत्व को व्यक्त करने वाली सुविधाओं और प्रक्रियाओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आकार का है;

(ग) विकास और/या उपेक्षा के प्रतिकूल प्रभावों से ग्रस्त है।

प्रबंधन योजना

एक प्रभावी प्रबंधन प्रणाली नामित संपत्ति के प्रकार, विशेषताओं और जरूरतों और उसके सांस्कृतिक और प्राकृतिक संदर्भ पर निर्भर करती है। प्रबंधन प्रणाली विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं, उपलब्ध संसाधनों और अन्य कारकों के अनुसार भिन्न हो सकती है। उनमें पारंपरिक प्रथाओं, मौजूदा शहरी या क्षेत्रीय नियोजन उपकरणों और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के अन्य नियोजन नियंत्रण तंत्र शामिल हो सकते हैं। प्रस्तावित हस्तक्षेपों के लिए प्रभाव आकलन सभी विश्व धरोहर संपत्तियों के लिए आवश्यक है।

प्रभावी प्रबंधन में नामांकित संपत्ति की रक्षा, संरक्षण और प्रस्तुतीकरण के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कार्रवाइयों का एक क्रम शामिल है। समय के साथ सपतियों के विकास को निर्देशित करने के लिए और उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के सभी पहलुओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए योजना और प्रबंधन हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है।

विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन

विश्व विरासत संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि शामिल होने के समय अखंडता और/या प्रामाणिकता की शर्तों सहित उनका उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व बना रहना चाहिए या, समय के साथ उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। संपत्तियों के संरक्षण की सामान्य स्थिति की एक नियमित समीक्षा, और इस प्रकार उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व की भी, विश्व विरासत संपत्तियों के लिए निगरानी प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर की जाएगी।

विश्व विरासत सूची में शामिल सभी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक विधायी, नियामक, संस्थागत और/या पारंपरिक संरक्षण और प्रबंधन होना चाहिए। इस सुरक्षा में पर्याप्त रूप से निर्धारित सीमाएं शामिल होनी चाहिए। इसी तरह राज्यों को नामांकित संपत्ति के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, नगरपालिका और/या पारंपरिक स्तर पर पर्याप्त सुरक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। नामांकित संपत्ति की सुरक्षा के लिए यह सुरक्षा जिस तरह से संचालित होती है, उसकी स्पष्ट व्याख्या के साथ उन्हें नामांकन के लिए उचित पाठ संलग्न करना चाहिए।

राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विधायी और नियामक उपायों को सामाजिक, आर्थिक और अन्य जो संपत्ति की अखंडता और/या प्रामाणिकता सहित उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं दबाव या परिवर्तन संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्यों को भी ऐसे उपायों के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन का आश्वासन देना चाहिए।

एक प्रभावी प्रबंधन प्रणाली नामित संपत्ति के प्रकार, उसकी विशेषताओं और जरूरतों और उसके सांस्कृतिक और प्राकृतिक संदर्भ पर निर्भर करती है। प्रबंधन प्रणाली विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं, उपलब्ध संसाधनों और अन्य कारकों के अनुसार भिन्न हो सकती है। उनमें पारंपरिक प्रथाएं, मौजूदा शहरी या क्षेत्रीय नियोजन तंत्र और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के अन्य नियोजन नियंत्रण तंत्र शामिल हो सकते हैं। प्रस्तावित हस्तक्षेपों के लिए प्रभावी आकलन सभी विश्व धरोहर संपत्तियों के लिए आवश्यक है।

प्रभावी प्रबंधन में नामांकित संपत्ति की रक्षा, संरक्षण और प्रस्तुतीकरण के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कार्रवाइयों का एक प्रक्रिया शामिल है। समय के साथ संपतियों के विकास को निर्देशित करने और उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के सभी पहलुओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए योजना और प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है। यह दृष्टिकोण किसी भी बफर जोन के साथ ही व्यापक सेटिंग को शामिल करने के लिए संपत्ति से अलग है। व्यापक सेटिंग संपत्ति की स्थलाकृति, प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण, और अन्य तत्वों जैसे बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग पैटर्न, स्थानिक संगठन और दृश्य संबंधों से संबंधित हो सकती है। इसमें संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक प्रक्रियाओं और विरासत के अन्य अमूर्त आयामों जैसे धारणाओं और संबंधों को भी शामिल किया जा सकता है। व्यापक सेटिंग का प्रबंधन उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व का समर्थन करने में इसकी भूमिका से संबंधित है। विरासत और समाज के पारस्परिक लाभों का उपयोग करके इसका प्रभावी प्रबंधन सतत् विकास में भी योगदान दे सकता है।

सतत् विकास के सभी आयाम उनकी विविधता में प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित गुणों पर लागू होने चाहिए। ये आयाम अन्योन्याश्रित और पारस्परिक रूप से सुदृढ़ हैं, जिनमें से किसी का भी दूसरे पर प्रभुत्व नहीं है और प्रत्येक समान रूप से आवश्यक है। इसलिए राज्यों को ओयूवी की सुरक्षा और सतत् विकास उद्देश्यों की खोज के बीच उचित संतुलन, एकीकरण और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए विश्व धरोहर

संपत्तियों की प्रबंधन प्रणालियों के भीतर शासन ढांचे की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। इसमें स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों और अधिकार धारकों का पूर्ण सम्मान और भागीदारी , प्रभावी अंतर-संस्थागत समन्वय तंत्र की स्थापना और सभी प्रस्तावित विकासों के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के व्यवस्थित मूल्यांकन के प्रावधान शामिल होंगे।, साथ ही सहमत संकेतकों के सापेक्ष डाटा संग्रण में निरंतरता के माध्यम से प्रभावी निगरानी के व्यवस्थित आकंलन के विश्व धरोहर समिति राज्यों के, जहां उपयुक्त हो, उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास अग्नि प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने का अनुरोध करती है।
(क) धरोहर मान्यताओं पर संभावित गंभीर अग्नि प्रभावों की स्थिति में स्थल-स्तरीय अग्नि भेद्यता और जोखिम आकलन, शमन, जोखिम तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति योजना तैयार करें।
(ख) अग्नि अनुसंधान, प्रभाव की निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और शमन और तैयारी के उपायों को प्रबंधन निर्णयों में शामिल करें।
(ग) समुदायों के बीच आग के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ काम करें और आग के बाद कार्रवाई और उससे उबरने की अधिक क्षमता का निर्माण करें,
(घ) विशिष्ट रूप से तैयार तकनीकों और रणनीतियों जो प्राकृतिक और मानव जनित आग की विशेषताओं और परिस्थितियों को दर्शाती है, पर विचार करें।

(ड.) निगरानी और अग्निशमन प्रणालियों सहित अग्नि प्रबंधन रणनीतियों में आवेदन करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों की क्षमता का अन्वेषण करें, जो संपत्तियों के ओयूवी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे।

(च) जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए मजबूत कार्रवाई की जाए।

विश्व धरोहर संपत्तियों में आपदा से जुड़े जोखिम को कम करने की रणनीति के पांच उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(क) विश्व धरोहर संपत्तियों पर जोखिम कम करने के लिए प्रासंगिक वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थानों के बीच सहायता को मजबूत करना;

(ख) विश्व धरोहर संपत्तियों पर आपदा रोकथाम की संस्कृति को सशक्त बनाने के लिए ज्ञान, नवाचार और शिक्षा का उपयोग करना;

(ग) विश्व धरोहर संपत्तियों की पहचान, मूल्यांकन और आपदा जोखिमों की निगरानी करना;

(घ) विश्व धरोहर संपत्तियों में अंतर्निहित जोखिम कारकों को कम करना;

(ड.) सभी स्तरों पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए विश्व धरोहर संपत्तियों पर आपदा जोखिम तैयारियों को सशक्त बनाना।

बढ़ते आपदा जोखिमों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए, सदस्य देशों को यह स्वीकार करना चाहिए कि विश्व धरोहर संरक्षित की जाने वाली संपत्ति और समुदायों की क्षमता को मजबूत करने और उनके गुणों को प्रतिरोध करने, अवशोषित करने और किसी खतरे के प्रभावों से उबरने के लिए एक संसाधन के रूप में दोनों का प्रतिनिधित्व

करती है। आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन बहुपक्षीय समझौतों के अनुरूप, सदस्य देशों को निम्न का पालन करना चाहिए:

i. मान्यता देना और प्रचार करना - संरक्षण और प्रबंधन रणनीतियों के भीतर - आपदा जोखिम को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए विश्व धरोहर संपत्तियों की अंतर्निहित क्षमता संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं और मजबूत सामाजिक सामंजस्य के माध्यम से ।

ii. सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण और शिक्षा सहित संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से विश्व धरोहर संपत्तियों और उनकी सेटिंग्स की भेद्यता को कम करने के साथ-साथ आपदा और जलवायु परिवर्तन के लिए स्थानीय और संबंधित समुदायों की सामाजिक और आर्थिक लचीलापन को बढ़ावा देना। संरचनात्मक उपायों, विशेष रूप से, विश्व धरोहर संपत्तियों के ओयूवी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए;

iii. विश्व धरोहर संपत्तियों के लिए प्रबंधन प्रणालियों और संरक्षण कार्यप्रणाली के भीतर आपदा के बाद की रिकवरी रणनीतियों में प्रभावी प्रतिक्रिया और 'बिल्डिंग-बैक-बेहतर' के लिए तैयारियों को बढ़ाना।

संपत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक

शहरी धरोहर के संरक्षण को सामान्य नीति नियोजन और प्रथाओं और व्यापक शहरी संदर्भ से संबंधित में एकीकृत किया जाना चाहिए। नीतियों को छोटी और लंबी शर्तों में संरक्षण और स्थिरता को संतुलित करने के लिए तंत्र प्रदान करना चाहिए। ऐतिहासिक शहरी ताने-बाने में समकालीन हस्तक्षेपों के सामंजस्यपूर्ण, एकीकरण पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से, विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

(क) सदस्य राज्यों को ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य दृष्टिकोण के अनुसार शहरी धरोहर संरक्षण रणनीतियों को राष्ट्रीय विकास नीतियों और एजेंडा में एकीकृत करना चाहिए। इस ढांचे के भीतर, स्थानीय अधिकारियों को शहरी विकास योजनाओं को क्षेत्र के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए, जिसमें परिदृश्य और अन्य धरोहर मूल्य और उससे जुड़ी विशेषताएं शामिल हैं;

(ख) ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य दृष्टिकोण के सफल अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी हितधारकों को अन्य बातों के साथ-साथ साझेदारी के माध्यम से सहयोग करना चाहिए;

(ग) सतत् विकास प्रक्रियाओं से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य दृष्टिकोण को अपनी रणनीतियों, योजनाओं और संचालन में एकीकृत करना चाहिए;

(घ) ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों को उपकरणों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास तथा प्रसार में भाग लेना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन और मौसम की गंभीर घटनाएं

जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव भौतिक से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं तक हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों कर समाधान करने के लिए सीखे गए अनुभव और सबक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर कई प्रबंधन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। *वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन* जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संपत्तियों के संबंध में प्रासंगिक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए रणनीति विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस मुद्दे की जटिलता को देखते हुए, विश्व धरोहर सूची में अंकित उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपत्तियों पर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों का सामना करने के लिए उपयुक्त प्रबंधन प्रतिक्रियाओं को लागू करने के लिए राज्य पक्ष विश्व धरोहर समिति से मार्गदर्शन का अनुरोध कर सकते हैं।

संरक्षण परिवर्तन का प्रबंधन है और जलवायु परिवर्तन आज समाज और पर्यावरण के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों में से एक है। धरोहर की रक्षा के लिए जिन कार्रवाइयों की आवश्यकता है, वे तीन गुना हैं:

- निवारक कार्रवाइयाँ: व्यक्तिगत, समुदाय, संस्थागत और कॉर्पोरेट के स्तरों पर पर्यावरण की दृष्टि से ठोस विकल्पों और निर्णयों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी, रिपोर्टिंग और उसमें कमी लाना।
- सुधारात्मक कार्रवाईयां: वैश्विक और क्षेत्रीय रणनीतियों तथा स्थानीय प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता का अनुकूलन।
- जानकारी साझा करना: सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान, संचार, सार्वजनिक और राजनीतिक सहयोग, शिक्षा और प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग आदि सहित।

पर्यटन और आगंतुक प्रबंधन

विश्व धरोहर संपत्तियां महत्वपूर्ण यात्रा गंतव्य हैं, जिन्हें अगर ठीक से प्रबंधित किया जाए, तो समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास, स्थिरता और सामाजिक लचीलापन को मजबूत करने की काफी संभावनाएं हैं। समुदाय आधारित पहलों सहित पर्यटन विकास के सतत रूपों के साथ समावेशी और न्यायसंगत आर्थिक निवेश होना चाहिए ताकि विश्व धरोहर संपत्तियों में और उसके आसपास लाभ साझा करना सुनिश्चित किया जा सके।

लोक सभा में दिनांक 13**.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या** 1816 **के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।**

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थलों की सूची

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**धरोहर स्थल का नाम**
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा-किला
		ताज महल
		फतेहपुर सीकरी
2.	महाराष्ट्र	अजंता की गुफाएँ
		एलोरा की गुफाएँ
		एलिफेंटा गुफाएं
3.	कर्नाटक	हम्पी में स्मारकों का समूह
		पट्टडकल में स्मारकों का समूह
4.	मध्य प्रदेश	खजुराहो में स्मारकों का समूह
		सांची में बौद्ध स्मारक
		भीमबेटका के शैल आश्रय
5.	ओडिशा	सूर्य मंदिर, कोणार्क
6.	तमिलनाडु	महान चोल मंदिर
		महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह
7.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	हुमायुं का मकबरा
		कुतुब मीनार और उसके स्मारक
		लाल किला परिसर
8.	गोवा	गोवा के चर्च और कॉन्वेंट
9.	राजस्थान	राजस्थान के पहाड़ी किले
10.	तेलंगाना	काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर
11.	बिहार	नालंदा का पुरातत्व स्थल महाविहार
12.	गुजरात	चापमनेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क
		रानी-की-वाव (रानी की बावड़ी)

		धोलावीरा : एक हड़प्पा शहर

अनुबंध-ख

लोक सभा में दिनांक 13.**02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या** 1816 **के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।**

चालू वित्तीय वर्ष के लिए विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु आवंटन का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**धरोहर स्थल का नाम**	**आवंटन**
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा-किला	20.00
		ताज महल	
		फतेहपुर सीकरी	
2.	महाराष्ट्र	अजंता की गुफाएँ	32.50
		एलोरा की गुफाएँ	
		एलिफेंटा गुफाएं	
3.	कर्नाटक	हम्पी में स्मारकों का समूह	18.50
		पट्टडकल में स्मारकों का समूह	
4.	मध्य प्रदेश	खजुराहो में स्मारकों का समूह	19.50
		सांची में बौद्ध स्मारक	
		भीमबेटका के शैल आश्रय	
5.	ओडिशा	सूर्य मंदिर, कोणार्क	13.00
6.	तमिलनाडु	महान चोल मंदिर	18.00
		महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह	

7.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	हुमायुं का मकबरा	30.00
		कुतुब मीनार और उसके स्मारक	
		लाल किला परिसर	
8.	गोवा	गोवा के चर्च और कॉन्वेंट	9.00
9.	राजस्थान	राजस्थान के पहाड़ी किले	15.00
10.	तेलंगाना	काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर	15.00
11.	बिहार	नालंदा का पुरातत्व स्थल महाविहार	6.50
12.	गुजरात	चापमनेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क	15.00
		रानी-की-वाव (रानी की बावड़ी)	
		धोलावीरा : एक हड़प्पा शहर	
		कुल	**212.00**

*****